

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या 28/2017

अनवान

1 राधेश्याम पिता मांगीलाल दरोगा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम

1 गट्टु देवी पत्नि स्व0 मांगीलाल दरोगा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित :- श्री राधेश्याम पिता मांगीलाल दरोगावादी
श्री गट्टु देवी पत्नि स्व0 मांगीलाल दरोगाप्रतिवादी
पैरोकार सरकार

दिनांक- 14.07.2017

वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बनेड़ा पटवार क्षेत्र बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 674 आराजी संख्या 3384, 3385, 3386, 3390, 3391, 3392, 3393 कुल कित्ता 07 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार वादी का नाम श्यामलाल पिता मांगीलाल दरोगा के स्थान पर राधेश्याम पिता मांगीलाल दरोगा सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज दिनांक 14.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेड़ा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.